FORM- I

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, Dehradun

No. 1754/DLRC-2021-22 Date: 22/12/2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having Initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **24.1884 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **National Highway Authority of India, Dehradun** for widening of existing road Paonta Sahib to Ballupur (Dehradun) in the district of Dehradun falls within jurisdiction of **Kulhal, Matak Majri, Kunja, Kunja Grant, Aduwala, Shahpur Kalyanpur, Dharmawala** villages in **Vikasnagar Tehsil**.

It is further certified that:

a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **24.1884 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ……………………

b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

c. The proposal does not involve recognized right of primitive Trible Groups and preagricultural communities.

Sub-Divisional Magistrate Vikasnagar
उपजिलाधिकारी
विकासनगर

Divisional Forest Officer Soil Conservation of Forest Kalsi
प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

Signature
(Full name and Official seal of the District Collector)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-बसन्त विहार, देहरादून

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of **Shri R. Rajesh Kumar**, IAS, District Magistrate on dated 23/12/2021 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in mail area measuring **24.1884 Hectare** for the **UP-gradation and 4-lanning of Paonta Saheb-Ballupur (Dehradun) Section of NH-72 (Km 104.00 to Km 149.00)** in the state of Uttarakhand of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division level Committee of **Vikasnagar** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommend and above case for diversion of land for the said purposed.

Place:
Date:

Sub-Divisional Magistrate	**Divisional Forest Officer**	**District Magistrate**
Vikasnagar	**Soil Conservation of Forest**	**Dehradun committee**
उपजिलाधिकारी विकासनगर	**Kalsi** प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भू०सं० वन प्रभाग, कालसी।	जिलाधिकारी देहरादून।

परियोजना निदेशक/Project Director,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India,
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways,
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

जनपद देहरादून

पत्रांक :—

दिनांक 22/12/2021

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 22/12/2021 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति मे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब--बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धृढीकरण** का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **24.1884 हैक्टेयर** वन भूमि वन विभाग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति--विकासनगर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी विकासनगर की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **24.1884 हैक्टेयर** भूमि जो कि वन विभाग के तिमली रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी– विकासनगर की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून
(मुहर: जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून)

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भूमि संरक्षण
वन प्रभाग, कालसी
(मुहर: प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।)

जिलाधिकारी
देहरादून
(मुहर: जिलाधिकारी देहरादून।)

प्र0स0

दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बसन्तविहार, देहरादून

(मुहर: YONGMA ENGINEERING CO. LTD.)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-बसन्त विहार, देहरादून

प्रपत्र – 23.3

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण हेतु 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 45 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण** हेतु **24.1884 हैक्टेयर** वन भूमि वन विभाग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम–2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

उपजिलाधिकारी
विकासनगर, देहरादून
उपजिलाधिकारी
विकासनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भूमि संरक्षण
वन प्रभाग, कालसी
प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

जिलाधिकारी,
देहरादून
उत्तराखण्ड
जिलाधिकारी
देहरादून।

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-चन्द्र विहार, देहरादून

YONGMA ENGINEERING CO. LTD.

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण हेतु 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 45 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी – विकासनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून / प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तानरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–विकासनगर) की दिनांक 7-12-2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....विनोद कुमार........ उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री ....विनोद कुमार........ उपजिलाधिकारी विकासनगर (देहरादून) अध्यक्ष
2. श्री बी0डी0 सकलानी .... उप प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर सदस्य
3. श्री ....पूजा पाल.......... सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री ....उमेश कुमार........ बी0डी0सी0 क्षेत्र शाहपुर

उप–प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण** हेतु (आरक्षित

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-बसन्त विहार, देहरादून

वनभूमि 24.1884 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुंशसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदा का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध मे अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक मे सर्वसम्मति से उपखण्ड विकानगर, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एंजेन्सी को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– विकासनगर,
जनपद–देहरादून

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– विकासनगर,
जनपद–देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 45 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– धर्मावाला

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 24.1884 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धर्मावाला द्वारा दिनांक 30/11/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धर्मावाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव — लेखपाल–श्रीराम, 30/11/21, क्षेत्र–, तहसील- विकासनगर

ग्राम पंचायत धर्मावाला, ग्राम प्रधान, विकासनगर देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

प्रपत्र – 23.1

दिनांक – 30/11/021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – धर्मावाला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	अजिता पाल	Ajita
2.	सुरेन्द्र कुमार	सुरेन्द्र
3.	रजिता	रजिता
4.	अजय	Ajay
5.	मुकरम	मुकरम
6.	कलीम	कलीम
7.	विनिता चौहान	Vinita
8.	मनीष	मनीष
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

ग्राम पंचायत अधिकारी
30/11/21
विकासनगर

YONGMA ENGINEERING CO. LTD.

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्ढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 45 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– आडूवाला

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्ढीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 24.1884 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आडूवाला द्वारा दिनांक 30/11/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है।। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आडूवाला.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

लेखपाल श्रीपाराम
क्षेत्र- आडूवाला
तहसील- विकासनगर

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत आडूवाला
रजनी देवी
वि0 ख0–विकासनगर (देहरादून)

30/11/2021

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

प्रपत्र — 23.1

दिनांक — 30/11/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम — अदवाला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	Brijesh Kumar	[signature] 30/11/2021
2.	शीतल	" शीतल
3.	Varun	[signature]
4.	रविन्द्र कुमार	रविन्द्र
5.	धीरेन्द्र कुमार	धीरेन्द्र
6.	मोनू	मोनू कुमार
7.	राजेश कुमार	[signature] 30/11/21
8.	अजय सिंह	A.Singh
9.	गुलाब सिंह	Singh
10.	अर्जुन सिंह	अर्जुन सिंह
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

[signature] 30/11/21
लेखपाल अभिभारान
क्षेत्र
तहसील- विकासनगर

[signature]

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
[illegible]

[stamp: ... ENGINEERING CO. LTD.] [signature]

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 45 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– शाहपुर कल्याणपुर

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 24.1884 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत शाहपुर कल्याणपुर द्वारा दिनांक 30/11/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम शाहपुर कल्याणपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव — ओमप्रकाश
तहसील- विकासनगर

ग्राम प्रधान
30/11/2021

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

प्रपत्र – 23.1

दिनांक – 30/11/021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – शाहपुर कल्याणपुर

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	रविन्द्र S/o स्व बाबूराम	रविन्द्र कुमार
2.	रघुवीर S/o मादराम	रघुवीर
3.	बलवीर S/o हेमराज	Balbir
4.	राजेन्द्र S/o लाल सिंह	राजेन्द्र
5.	राजेन्द्र S/o फल्लू	राजेन्द्र
6.	शम्भू S/o देवीसिंह	शम्भू
7.	गुलाब S/o तेलीराम	गुलाब
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

क्षेत्रीय कानूनगो
तहसील विकासनगर

ग्राम पंचायत शाहपुर कल्याणपुर
वि०ख० विकासनगर (देहरादून)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-बसन्त विहार, देहरादून

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 45 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– कुन्जा ग्रान्ट

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 24.1884 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुन्जा ग्रान्ट द्वारा दिनांक 01/12/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुन्जा ग्रान्ट के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

प्रपत्र — 23.1

दिनांक — 01/12/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम — कुन्जा ग्रान्ट

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	उस्मान अली	Usman Ali
2.	सरोज देवी	Saroj
3.	नीलम पाल	Neelam Pal
4.	सुरेशपाल	Suresh
5.	गुफरान	Gufran
6.	वसीम	Vasim
7.	शकील अहमद	शकील
8.	नसीम	नसीम
9.	बानो	बानो
10.	गुलिस्ता	Gulista
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

लेखपाल-श्री
क्षेत्र-
तहसील-

ग्राम प्रधान कुन्जा ग्रान्ट

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
Ministry of Road Transport & Highways

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौडीकरण एवं सुद्धढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 45 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– मटक माजरी

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 24.1884 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुल्हाल (मटक माजरी) द्वारा दिनांक 30/11/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुल्हाल (मटक माजरी) ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत कुल्हाल
विकास खण्ड विकास नगर
जिला देहरादून (उ0ख0)
ग्राम प्रधान

ग्राम सचिव
लक्ष्मणपाल ग्रामसचिव
क्षेत्र-
तहसील- विकासनगर

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

प्रपत्र – 23.1

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक – 30/11/12 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – कुल्हाल मजरा भागरी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	रोहन	Rohan
2.	निकेश	N
3.	दीपक	Deepak
4.	अमित कुमार	Amit Kumar
5.	प्रकाश	Prakash
6.	संजय	Sanjay
7.	आयुष	Ayush
8.	विक्की	Vicky
9.	शंकर	[signature]
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

लेखपाल क्षेत्र तहसील- विकासनगर

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India

प्रधान
ग्राम पंचायत कुल्हाल
विकास खण्ड विकास नगर
जिला देहरादून (उ0ख0)

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 45 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– कुन्जा

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 24.1884 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावितित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुन्जा द्वारा दिनांक 30/11/021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुन्जा के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान कुन्जा
वि0 ख0 विकासनगर, देहरादून
30/11/2021

ग्राम प्रधान

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
श्री भरिम जोशी
तहसील– विकासनगर

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्ढढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 45 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– कुल्हाल

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्धृढीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 24.1884 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत शाहपुर कल्याणपुर द्वारा दिनांक 30.11.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम शाहपुर कल्याणपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

तहसील– विकासनगर

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत कुल्हाल
विकास खण्ड विकास नगर
जिला देहरादून (उ0ख0)

प्रपत्र — 23.1

दिनांक – 30.11.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – कुलहाल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	हरी बहादुर	HRAI
2.	दिलशाद	मो० दिलशाद
3.	मौ० साबिर	M. Sabir
4.	दीपक	[illegible]
5.	रोहन	[illegible]
6.	शंकर	[illegible]
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways